डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक 45 /फा0सं0–1454 / कोविड–19 / स्था0 / डी.एस.एम.एन.आर.यू. / 2021–22 दिनांक– 16 अप्रैल, 2021

// कार्यालय–आदेश //

प्रदेश में कोविड–19 के तीव्र गति से संक्रमण फैलने के दृष्टिगत आदेश संख्या 33/ फा0सं0–1454 / कोविड–19 / स्था0 / डी.एस.एम.एन.आर.यू. / 2021–22, दिनांक 08 अप्रैल, 2021 द्वारा दिनांक 09 अप्रैल, 2021 से दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक विश्वविद्यालय पूर्णतया बन्द किया गया था।

इसी क्रम में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के आदेश संख्या–1064 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020, दिनांक 15 अप्रैल, 2021 में कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक संस्थानों हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 से बचाव हेतु विश्वविद्यालय दिनांक 16 अप्रैल, 2021 से दिनांक 20 अप्रैल, 2021 तक पूर्णतया बन्द रहेगा।

उक्त शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल, 2021 में विहित व्यवस्था के अनुपालन में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कक्षायें / शिक्षण कार्य दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक ऑनलाइन संचालित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की उपस्थिति नहीं होगी। ऑनलाइन कक्षाओं का पर्यवेक्षण सम्बन्धित संकाय / विभाग के अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष द्वारा करते हुए अभिलेख भी सुरक्षित रखने की कार्यवाही की जायेगी, ताकि भविष्य में उक्त अभिलेखों का सदुपयोग किया जा सके।

इस अवधि में कोई भी शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारी बिना सक्षम स्तर से अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा तथा किसी अपरिहार्य स्थिति में किसी भी शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारी को कार्यालय में बुलाये जाने पर उन्हें उपस्थित होना होगा।

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश पत्रांक 33 / फा0सं0–1454 / कोविड–19 / स्था0 / डी.एस.एम.एन.आर.यू. / 2021–22, दिनांक 08 अप्रैल, 2021 द्वारा निर्गत अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1– मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3– समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष।
4– परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5 चीफ प्रोवोस्ट / अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट, महिला एवं पुरूष छात्रावास।
6– समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
7– समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
8– समस्त कर्मचारीगण, विश्वविद्यालय।
9– विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10– सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी, विश्वविद्यालय।
11– गार्ड फाइल।

16/04/21
(डॉ0 ए0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

Scanned by CamScanner